सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्र0सं0 01/2021

अमनदीप सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एफ.एफ.ए. तहसील श्रीकरणपुर

अपीलांट

बनाम

1. लखविन्द्र सिह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एफ.एफ.(ए) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यारआम गुरतेज सिंह पुत्र श्री अमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 4 एफ.एफ.(ए) तहसील श्रीकरणपुर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इतंकाल संख्या 451 दिनांक 09.06.2021 न्यायालय उपतहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिसकी रूह से स्वीकृत शुदा दिनांक 07.06.2021 को दिनांक 09.06.2021 को निरस्त किया गया–मन्सूखी बाबत।

उपस्थित : 1. श्री मोहनलाल माहर, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री इकबाल सिंह सिद्धू अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

आदेश **दिनांक : 29.10.2021**

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रेस्पोडेन्टस के खिलाफ पेश की गई है जिसके संक्षेप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि चक 4 एफ.एफ.(ए) के खाता संख्या 96/96 व 97/97 के मु. नं. 40 ,41, 64/24 व 64/33 की कुल 2.544 हैक्टेयर व मु. नं. 31 की 1.897 हैक्टेयर कृषि भूमि रेस्पो. लखविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह के नाम 1/2 हिस्सा रकबा खातेदारी दर्ज था। रेस्पो. लखविन्द्र सिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि को दिनांक 27.05.2021 को अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय की गयी थी और मौका पर उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त हो गया जिसका राजस्व अभिलेख में नामांतरण संख्या 451 दिनांक 07.06.2021 को स्वीकृत किया गया था, जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2076–79 में दर्ज हो चुका था। कब्जा काश्त एवं इन्द्राज के आधार पर पानी

की पर्ची 2021–22 अपीलार्थी को प्राप्त हो गयी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर बिना किसी उचित कारण के उक्त नामांतरण संख्या 451 को दिनांक 07.06.2021 के द्वारा निरस्त फरमा दिया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06. 2021 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलार्थी को न तो नोटिस दिया गया और न ही जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इतंकाल संख्या 451 दिनांक 07.06.2021 को पंजीकरण के आधार पर प्रस्तुत पटवार हल्का व गिरदावर द्वारा पूर्णतया जांच कर पारित किया गया। इसमें न तो क्रेता ने एतराज पेश किया और न ही विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया था बल्कि विपरीत इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी बैयनामा की औचित्यता जांच किये अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2021 को निरस्त किया जाकर व इतंकाल संख्या 451 दिनांक 07.06. 2021 को बहाल किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबधित मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया था बल्कि विपरीत इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी बैयनामा की औचित्य की जांच किये आदेश एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु न तो नोटिस दिया गया और न ही जवाब एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06. 2021 को निरस्त कर इतंकाल संख्या 451 दिनांक 07.06.2021 को बहाल किया जावे।

रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि उसके द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किय जा चुका है। इसलिए अपील को स्वीकार किये जाने में उसे कोई आपति नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण संख्या 451 दिनांक 07.06.2021 को स्वीकृत किया गया है। दो दिन के बाद ही दिनांक 09.06.2021 को यह अंकन करते हुए कि हल्का पटवारी व भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा असावधानी से इन्द्राज हुआ है। अतः निर्णय दिनांक 07.06.2021 को

निरस्त किया जाता है। इस निरस्ती के आदेश से पूर्व अपीलांट को न तो विधिवत नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु विधिसम्मत् कार्यवाही कर दोनों पक्षों को सुनकर तत्पश्चात् निर्णय पारित करना चाहिये था। अतः मेरे विनम्र मत प्रकरण को पुनः विधिवत् सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16–11–21 को उपस्थित हों।

आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)